राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2248, 2249 एवं 2250/2012............... जिला : सिरोही

मैसर्स सेठी आयरन एण्ड स्टील,आबूरोड, सिरोही बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.03.2017	खण्डपीठ श्री खेमराज,अध्यक्ष श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य अपीलार्थी की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं है। विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित । पत्रावली एवं अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि व्यवसाई एवं उसके मैनेजर द्वारा जो अपील स्तर पर शपथ पत्र दिनांक 07.01.2012 को प्रस्तुत किया गया है उसमें वर्णित तथ्यों का उल्लेख कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वक्त कर निर्धारण उल्लेख करना प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इन तथ्यों का कर निर्धारण आदेश में कोई उल्लेख नहीं है। सेठी फेब्रीकेशन ने खादी ग्रमोद्योग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी अपील स्तर पर प्रस्तुत किया है। उपरोक्त तथ्यों का वक्त कर निर्धारण, कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए था, जो नही किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में 30.07.2012 में यह निष्कर्ष दिया है कि उक्त विधिक बिन्दुओं के अलावा अन्य तथ्य यअपीलीय स्तर पर उठाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यवाही की गई है इसलिए प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने के कारण कर, ब्याज एवं शास्तियों के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए धारा 58, 59 व 62 के अन्तर्गत शास्तियों को यथावत रखते हुए अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को दिनांक 31.08.2012 को अपनी लेखा पुस्तकों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। उक्त प्रकार से प्रतिप्रेषित आदेश के पश्चात कर बोर्ड के स्तर पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कार्यवाही करें । निर्णय सुनाया गया। (मदल लाल मालवीय) सदस्य (खेमराज) अध्यक्ष	उभ